P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आशा सहयोगिनी की भूमिका

साधना भंडारी
सह–आचार्य,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर

अल्का पुरोहित
शोध–छात्रा,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर

सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर की गतिविधियों में आशा सहयोगिनी एक अनोखी पहल है। आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं व जनता के मध्य महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् भारत सरकार के स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना सन् 2005 में प्रारम्भ की गई। यह योजना सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की गई। इस योजना का प्रभावी प्रबंधन आशा सहयोगिनी नामक कार्यकर्ता पर निर्भर करता है क्योंकि आशा सहयोगिनी ही स्वास्थ्य केन्द्रों व लाभार्थी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना का प्रभावी प्रबंधन इसकी ही सशक्त भूमिका पर निर्भर करता है। हर महिला को खुशहाल मातृत्व का अधिकार दिलाने में आशा सहयोगिनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। घर–घर तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पंहुचा रही है। हमारी सहयोगिनी, किन्तु क्या आशा सहयोगिनी प्रभावी रूप से अपनी भूमिका, दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है? इसी परिप्रेक्ष्य में यह शोध–पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द : आशा सहयोगिनी, स्वास्थ्य सेवा, प्रबंधन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रसव, भूमिका।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना आशा के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है। आशा सहयोगिनी के द्वारा ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। आशा सहयोगिनी अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शिका के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं व समुदाय के मध्य अपनी भूमिका व कर्तव्यों को निभा रही है।

जन–जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना, गर्भवती व धात्री माताओं व नवजात शिशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने में आशा सहयोगिनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा सहयोगिनी के प्रयासों के कारण ही हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा स्वास्थ्य मानकों में सुधार आया है। आशा सहयोगिनी का मैत्रीपूर्ण व विनम्र व्यवहार ही उसे सबसे अलग पहचान दिलाता है। आशा सहयोगिनी की भूमिका की विवेचना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य व महत्व

आशा सहयोगिनी को स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं सफाई के सबंध में जानकारी देना, पोषण व संतुलित आहार के सबंध में परामर्श देना, ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन करना, प्रसव की तैयारी, प्रसव का महत्व, स्तनपान, टीकाकरण, सीमित व सुखी परिवार की अवधारणा, गर्भपात स्वास्थ्य प्रतिरक्षा आदि के सबंध में आशा सहयोगिनी परामर्श देती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत् घरों में शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा इस हेतु पंचायती राज विभागों से समन्वय स्थापित करना उचित व कारगार प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। ये सभी आशा सहयोगिनी के महत्वपूर्ण कार्यो और उत्तरदायित्व का एक भाग है। शहरी क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी को प्रसव करवाने के लिए दो किश्तों में रु. 200/– प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाते है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव करवाने के लिए रु. 600/– रूपयें की प्रोत्साहन राशि दो किश्तो में प्रदान की जाती है। आशा सहयोगिनी अपने कार्यो का लेखा–जोखा एक डायरी में दर्ज करती है, क्योंकि कार्य के आधार पर ही भुगतान राशि उन्हें प्रदान की जाती है। आशा–सहयोगिनी के पास हमेशा एक दवा–किट रहता है, जिसमें विभिन्न दवाईयां व सामग्री उपलब्ध होती है। जो कि जरूरत के समय आशा सहयोगिनी के द्वारा मरीज के उपचार के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। भारत के प्रत्येक गांव के लिए एक आशा की नियुक्त की गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र की प्रबन्ध व्यवस्था तथा कम मातृ व शिशु मृत्यु दर से ही आशा सहयोगिनी की भूमिका को

समझना आसान होगा। प्रस्तुत शोध की सार्थकता, इसकी आवश्यकता एवं इसका महत्व उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है।

अनुसंधान प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध की प्रकृति विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक है। आशा सहयोगिनी की भूमिका को जानने के लिए शोध सरंचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया है तथा तथ्यात्मक व वास्तविकता को समझने के लिए सहभागी शोध प्रविधि को आधार बनाया गया है।

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत शोध को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतो से सूचनाओं व तथ्यों का संकलन किया जायेगा। प्राथमिक स्रोतः प्राथमिक स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगनबाड़ी केन्द्र का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों से संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया गया। द्वितीयक स्रोतः शोध अध्ययन के सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक पक्ष का विवेचन करने के लिए द्वितीयक स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की गई।

इसी क्रम में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, समाचार पत्रों, विषय से सम्बंधित पुस्तकों में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग किया गया।

आशा सहयोगिनी की भूमिका प्रभावी ना होने के कारणः

1. आशा सहयोगिनी को सरकार के द्वारा अल्प मानदेय देना जिसके कारण वह अपने परिवार का सही ढंग से भरण–पोषण करने में असमर्थ रहती है।
2. आशा सहयोगिनी परिवहन असुविधा के कारण समय पर गांवो का दौरा नहीं कर पाती है।
3. आशा सहयोगिनी को सम्प्रेषण की असुविधा व सूचनाओं की हेराफेरी के कारण भिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने में बहुत–सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
4. आशा सहयोगिनी की शैक्षणिक योग्यता कम होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती।
5. आशा सहयोगिनी द्वारा प्रसव के पश्चात् दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अभी भी कमियां हैं।
6. सूचना के अभाव के कारण आशा सहयोगिनी पंचायती राज संस्थाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच उलझी रहती है।

निष्कर्ष

जब तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं किया जायेगा तब तक आशा सहयोगिनी प्रभावी रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताओं व रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण संस्थागत प्रसव को स्वीकार नहीं किया जाता है। जिस कारण आशा सहयोगिनी अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा नहीं पाती।

सुक्षाव

अतः आशा सहयोगिनी की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु कतिपय सुझाव निम्नानुसार हैः–

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सभी आशाओं के कार्यो की प्रगति की समीक्षा के लिए कम से कम महिने में एक बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी आशा सहयोगिनी की बैठक आयोजित करनी चाहिए।
2. सरकार को आशा सहयोगिनी को मानदेय पर न रख कर, उन्हें नियमित कर देना चाहिए। ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह और अच्छे ढंग से कर सकें।
3. आशा सहयोगिनी की भर्ती में कम से कम योग्यता स्नातक कर देनी चाहिए।
4. गांव के दौरे के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवानी चाहिए।
5. एक समिति का गठन करना चाहिए जो कि आशा सहयोगिनी की समस्याएं तथा उनके कार्यो की प्रगति को देख सके ताकि वे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उज्जवल बना सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति रिपोर्ट– महिला बाल विकास विभाग राज. जयपुर 2015।*
2. *कार्यालय उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग, बीकानेर।*
3. *ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 2015।*
4. *राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (2005), आशा संदर्भ पुस्तिका : पुस्तक संख्या एक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।*
5. *मेठी, एस.एन., (सं.), सहयोगिनियों का दस दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।*
6. *कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर वार्षिक प्रतिवेदन 2013।*
7. *कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर वार्षिक रिपोर्ट 2015।*
8. *डी. पाल, बाल स्वास्थ्य का विकास, प्रकाशन आशा राय, कश्मीरी घाट, नई दिल्ली, वर्ष 1995।*
9. *आशा रानी, व्होरा, ''बैबी हैल्थ'' प्रकाशन पुस्तक महल, नई दिल्ली, वर्ष 1999।*
10. *योगेश कुमार, सिंघल, भारत में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2000, धारणा, पृ. 23–33।*